International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS)
Volume 34, Issue 01 and Publication Date: 28th June, 2022
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

बिहार में ग्रामीण मजदूरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन

चन्द्रा सत्या प्रकाश
शोध छात्रा, राजनीतिशास्त्र विभाग, बी0 एन0 एम0 यू0, मधेपुरा, बिहार

स्वतंत्राता से पूर्व देश एवं राज्य में ग्रामीण मजदूरों की स्थिति सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर कापफी दयनीय एवं चिन्तनीय थी परन्तु स्वतंत्राता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रा सरकार द्वारा ग्रामीण मजदूरों की स्थिति में सुधर हेतु कई सराहनीय कदम उठाये गये। खासकर नियोजन अवध् िमें इनकी दशा में सुधर हेतु कई नीतियॉ एवं कार्यक्रम लागू की गई। परन्तु दुर्भाग्यवश आज भी देश का सबसे उपेक्षित एवं दुःखी वर्ग की श्रेणी में ही ग्रामीण मजदूर आते हैं। इनकी मौलिक आवश्यकता भोजन, वस्त्रा, आवास एवं शैक्षिक स्थिति वर्तमान समय में भी सोचनीय एवं अपूर्ण बनी हुई है।

न्यूनतम आवश्यकताओं के तहत् जीने की विवशता :

वर्तमान परिवेश में भी ग्रामीण मजदूरों का रोजगार स्थानीय होने के कारण वे बार–बार सामाजिक कठिनाईयों के भमर–जाल में पफॅस जाते हैं। ये करोड़ों अभागे ग्रामीण मजदूर बहुध अब भी आध् पेट भोजन करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं इनकी आय इतनी भी नहीं होती है कि वे दोनों शाम ढ़ंग से भोजन भी नहीं कर सकते हैं। किसी आराम दायक एवं सुख की वस्तु का तो उनके लिए प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। जिन झोपड़ियों में ये ग्रामीण मजदूर रहते हैं उसमें सूर्य की रोशनी नहीं आती, वर्षा की झड़ी में उनके विछावन भिंग जाते हैं। खिड़की के आभाव में स्वच्छ हवा उनके घर प्रवेश नहीं करती। कड़के की ठंढ़ में ओश के बुन्दों यदि होती भी है तो उसमें बहु–बेटियॉ की पर्दा भी बच नहीं पाती। वस्तुतः इसका आवास मनुष्य के आवास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। इनका जीवन निरीह एवं मूक पशुवत व्यतीत होता है।

बाल श्रम का अभिशाप :

यह एक विडम्बना है कि एक ओर तो राष्ट्र स्वतंत्राता का सपफर में 6 दशक को पार कर चुके हैं, दूसरी ओर हम सुकोमल बच्चों को उचित शिक्षा, मनोरंजन, पौष्टिक

आहार, भावनात्मक सहयोग, पितृत्व देख—रेख तक देने में असमर्थ हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार बाल श्रमिकों की सूची में भारत अन्तर्गत 1981 में पॉचवें स्थान पर 1991 में चौथे स्थान पर और 2001 में तीसरे स्थान पर पहुॅच गये हैं। बिहार में वर्तमान समय में 2 लाख तक बाल श्रमिक हैं, जिनका यह कलंकित बोझ हमारे इस सभ्य समाज के कंधें पर है जो हमारी ग्रामीण मजदूरों के वर्तमान हीन दशा का द्योतक है।

पलायन की स्थिति :

आज बिहारी ग्रामीण मजदूर बोड़ियों की तरह लद कर रेलगाड़ियों की छत पर सवार होकर रोजगार की तलाश में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की ओर पलायित होकर घड़ी की सूई की नोक के अनुसार कार्य करते हैं। आज पंजाब के खेतों की हरियाली, हरियाणा के ईट भटठों की आमदनी, दिल्ली के अट्टालिकाओं के निर्माण, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्राों यथा—रंग—रोगन, ध्ुलाई—पोताई में इन बिहारी ग्रामीण मजदूरों का पसीना ही कार्य करता है।

इतना ही नहीं कोलकता, बुम्बई, चंडीगढ़, अमृतसर जैसे शहरों में खोमचा लगाना, रिक्सा चलाने, सब्जी उगाने, गन्ने का रस बेचने वाले प्रायः ये बिहारी ग्रामीण मजदूर ही होते हैं। कोलकता के जूट मिलों में मोटे और मेहनत का काम करने वाले तथा हाथ का रिक्सा खींचने वाले प्रायः यही होते हैं। सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, बुम्बई की कपड़ा मिलों, गुड़गॉव, गाजियाबाद, पिफरोजबाद आदि औद्योगिक शहरों—कस्बों में मेहनत का काम यही करते हैं। इन शहरों की अध्किांश मंजिलों के बोरे को पीढ पर चढ़ाकर ट्रकों, रेलगाड़ियों तक यही पहुॅचाते हैं। ग्रामीण मजदूर की यह वर्तमान स्थिति हमारे स्वतंत्रा देश एवं राज्य के माथे पर काला ध्ब्बा है।

बंध्ुआ मजदूरी प्रथा :

स्वतंत्राता के बाद भी राज्य देश में आज भी बंध्ुआ मजदूरी प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के अन्तर्गत एक बार मजदूर, मालिक के चंगुल में पफॅस जाने के बाद पूस्त दर पूस्त बंध्ुआ मजदूर के रूप में काम करते रहते हैं। बिहार के कई जिलों में वर्तमान में यह प्रथा देखने को मिलती है। सरकार के द्वारा बंध्ुआ मजदूरी उन्मूलन कानून बना लेने के बावजूद भी बंध्ुआ मजदूरी की प्रथा जारी है।

International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS)
Volume 34, Issue 01 and Publication Date: 28th June, 2022
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

मजदूरी में न्यूनता, निम्नता एवं निम्न आय :

बिहार में ग्रामीण मजदूरों को पफसल काटने, ढोनो, ओसाने और ढेर लगाने के पश्चात् 1/4 भाग अनाज मजदूरी में दिया जाता है। यदि बोझ बॉध्कर ही वे अपनी मजदूरी ले लेना चाहते हैं तो उनको 1/9 हिस्सा प्रति बोझ दिया जाता है या रोजाना–काम पर उन्हें बिनहारी भी मिलती है। दोपहर तक काम करने पर उन्हें कोई तीन सेर तथा शाम तक काम करने पर 5 सेर अनाज दिया जाता है। कहीं–कहीं उन्हें नकदी मजदूरी भी दी जाती है, जिसे मजदूरी की सूखी दर भी कहते हैं। शहर से सौदा लाने के लिए जब उनको भेजा जाता है तब दिन–भर समय लगने पर अध्कि से अध्कि एक रूपये और 4 या 6 आने 'बुताद' के लिए दिया जाता है, लेकिन हप्तावारी और महीनवारी भी देने की परिपाटी है। जो ग्रामीण मजदूर कापफी नजदीकी हो जाते हैं उनको मालिक कपड़े–लत्ते आदि विवाह एवं अन्य अवसर पर देते हैं। सुरती, तम्बाकू खाने के लिए दो–चार पैसे कभी–कभी दे दिये जाते हैं। स्त्रिायों को मर्दों से भी कुछ कम बनिहारी देने की व्यवस्था इस राज्य में है।

निम्न मजदूरी एवं मजदूरी में निम्नता के चलते राज्य में ग्रामीण मजदूर परिवार की भिन्न स्रोतों से होने वाली आय भी कम है। इनकी औसत आय को तालिका संख्या–1 से दिखाया जा सकता है।

तालिका संख्या–1

श्रमिक परिवारों को विभिन्न स्रोतों से होने वाली औसत वार्षिक आय रूपये में

आय के स्रोत	————कृषि श्रमिक परिवार————			संपूर्ण ग्रामीण श्रमिक परिवार
	1950–51	1956–57	1963–64	1963–64
1. भूमि की जुताई से	59.90	30.07	43.54	46.05
2. मजदूरी प्राप्त शारीरिक श्रम	340.16	354.49	544.85	568.62
3. मजदूरी प्राप्त मानसिक श्रम			10.83	13.32

4. खेती के अलावा घरेलू श्रम			22.50	28.00
5. अन्य स्रोत	49.94	52.91	39.37	39.23
कुल	447.00	437.75	660.75	695.22

तालिका संख्या 1 से स्पष्ट है कि कृषि श्रमिक परिवारों की औसत वार्षिक आय 1963–64 में 660.19 प्रतिशत थी, जो 1956–57 के मुकावले लगभग 51 प्रतिशत अध्कि थी। इस वृ(का मुख्य कारण था मजदूरी पाने वाले शारीरिक श्रमिकों की उँफची आय जो कि कुल आय की लगभग 83 प्रतिशत थी। भूमि की जुताई से होने वाली आय में उसका भाग लगभग वैसा ही रहा, अर्थात् लगभग 6 प्रतिशत का अन्तर हुआ। इतः इस तालिक से स्पष्ट है कि कृषि श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है।

यद्यपि वर्तमान न्यूनतम मजदूरी निर्धरित हो चुकी है। न्यूनतम मजदूरी का दर पूरे राज्य में निश्चित कर दिया गया है पिफर भी यह मजदूरी ग्रामीण मजदूरों को नहीं मिलता है, जिसके चलते इनकी पारिवारिक वार्षिक आय कम बनी रहती है।

भूमि जोतों में न्यूनतम हिस्सेदारी :

बिहार में एक तो ग्रामीण मजदूर भूमि विहीन है ही साथ ही ग्रामीण मजदूरों के पास जो भूमि उपलब्ध है वह अन्य राज्यों की तुलना में कम है। भूमि में हिस्सेदारी के अन्तर्गत कुछ राज्यों की तुलनात्मक स्थिति को तालिका संख्या 2 से दिखाया जा सकता है।

तालिका संख्या–2

कुल जोतों में हिस्सेदारी प्रतिशत में

राज्य	सीमान्त	लघु	अ(मध्यम	मध्यम	वृहद
आन्ध्र प्रदेश	16.4	19.6	25.2	26.1	12.8
बिहार	30.3	17.1	23.8	21.0	14.7
हरियाणा	7.9	12.5	25.4	35.0	19.1
कर्नाटक	8.7	18.7	26.0	30.6	16.0

International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS)
Volume 34, Issue 01 and Publication Date: 28th June, 2022
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

मध्य प्रदेश	6.4	12.6	21.9	39.1	24.0
उड़ीसा	19.7	26.9	29.5	19.1	4.8
पंजाब	4.1	8.1	20.0	40.2	26.7
राजस्थान	3.5	7.0	14.4	30.2	44.9
उत्तर प्रदेश	31.4	24.4	24.4	16.9	3.9
प0 बंगाल	36.5	30.0	28.4	7.5	5.6
कुल	*14.9*	*17.3*	*23.2*	*27.2*	*17.4*

तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की भूमि वितरण की स्थिति लगभग बराबर है। खासकर बिहार में भूमि वितरण की असमानता का सीध संबंध ग्रामीण गरीबी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार अध्कि कृषि प्रधन राज्य है। लकड़ावाला रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की 56.2 प्रतिशत जो ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करती है, जबकि भारत में यह 30 प्रतिशत है।

वास्तव में संपूर्ण देश एवं बिहार में भूमि सुधर को आन्दोलन के स्तर पर चलाया गया, परन्तु बिहार इसमें भी पिछड़ गया। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, आसाम आदि राज्यों में भूमि का वितरण का परिणाम एवं प्रतिशतता दोनों ही तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा है।

अतः बिहार में ग्रामीण मजदूरों की वर्तमान स्थिति भूमि वितरण की दृष्टि से भी कापफी चिन्तनीय है।

दुर्बल आवास व्यवस्था :

बिहार में ग्रामीण मजदूरों की आवास हेतु सरकार द्वार कई योजनाएँ लागू की गयी, पिफर भी इनकी आवास की व्यवस्था कापफी दुर्बल है। सरकार ग्रामीण मजदूर और गृह विहीन मजदूरों के लिए झोपड़ियों के निर्माण के लिए योजना बनाई है। इस योजना में प्रति झोपड़ी 798 रूपये की लागत का अनुमान किया गया है। लागत का 50 प्रतिशत सरकार अंशदान के रूप में देगी। 1972–73 में ग्रामीण मजदूरों के मकान के लिए भूमि देने की व्यवस्था के लिए एक योजना लागू की गई, जिसके अन्तर्गत राज्य

सरकारों द्वारा भूमि अध्ग्रिहण करने तथा मकान बनाने के लिए भूमि का विकास करने पर होने वाले व्यय की शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता उन्हें देने की व्यवस्था की गई। एक परिवार को मकान बनाने के लिए अध्कि से अध्कि 100 वर्ग गज भूमि प्रदान की जाती है। दिसम्बर 1973 के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के 1399 विकास खण्डों एवं पंचायतों के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। यह अनुमान लगाया गया है कि 120 लाख ऐसे ग्रामीण मजदूर है जिसके पास मकान बनाने को भूमि नहीं है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जहॉ ग्रामीण मजदूरों की झोपड़ियॉ बनी है वहॉ की भमि का उन्हें स्वामित्व दे दिया जाना चाहिए और ग्रामीण मजदूरों के लिए वर्तमान अस्वास्थ्यकर दशाओं से हटकर बस्तियॉ स्थापित की जानी चाहिए।

इस तरह बिहार में ग्रामीण मजदूरों की आवास व्यवस्था हेतु सरकारी प्रयासों के बावजूद भी हमारे एवं ग्रामीण मजदूर गृह विहीन, पशुवत अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। योजना अवध् िमें बिहार में कई आवास योजना चलाई गई पिफर भी बिहार ग्रामीण मजदूरों की वर्तमान आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पायी है।

संगठन की स्थिति :

बिहार में ग्रामीण मजदूरों के बीच वर्तमान समय में संगठनात्मक सुविधओं का अभाव है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का विचार था कि कृषि के विकास, शिक्षा के प्रसार व राजनीतिक जागरण के कारण समय बीतने के साथ ही कृषि श्रमिक अध्किाध्कि संगठित होंगे। राज्य सरकार को भी चाहिए कि वे उनके संगठन के लिए यथेष्ट सुविधएॅ उपलब्ध कराये। 1977 में भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमों को 141 देशों ने अपनाया जिसमें अपनाने वाले देशों के लिए यह आवश्यक बना दिया गया है कि वे ग्रामीण श्रमिकों के दृढ़ व स्वतंत्रा संगठन की एच्छिक रूप से स्थापना एवं वृ(के लिए सुविधएॅ हों। बिहार में ग्रामीण मजदूरों का कोई संगठन नहीं था, पिफर भी खेत मजदूर आन्दोलन के इतिहास में बिहार की भूमिका सराहनीय रही।

International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS)
Volume 34, Issue 01 and Publication Date: 28th June, 2022
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

बिहार में 25 जुलाई 1974 को संगठित एक दिन के हड़ताल के अतिरिक्त वास्तविक हड़ताल 200 गॉवों में हुई। हड़तालों की लड़ाई मुख्य रूप से भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और नालंदा के जिलों में हुई। औरंगाबाद जिले के गोडीहा गॉव में हड़ताल 20 दिनों तक चली और रोहतास जिले के पोनी गॉव में पुरे एक महीने तक हड़ताल का संघर्ष चलता रहा। इनमें से अध्किांश हड़ताल का संघर्ष सपफल हुए। जिस गॉवों में हड़ताल हुई उन गॉवों में मजदूरों की मजदूरी 2.00 रूपये और जलपान अथवा खाने के साथ–साथ 2 किलो अनाज बढ़ाकर 4.00 रूपये अथवा खाने के साथ 3 किलो से लेकर 3.5 किलो अनाज कर दी गयी। दो गॉवों में हड़ताल सपफल नहीं हुई, इस दौरान बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इन ग्रामीण मजदूरों पर कातिलाना हमला भी किया गया। भू–स्वामियों के इशारे पर पुलिस ने मजदूरों की एक बड़ी संख्या को झूठे मुकदमें में पफॅसा दिया। परन्तु आतंक, हिंसा एवं हत्याओं की इन लहरों के बीच ग्रामीण मजदूरों की एकता में विश्वास आ गया, जिसमें इनका संगठन और कमजोर हो गया।

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बिहार में ग्रामीण मजदूरों के बीच संगठनात्मक दुर्बलता की स्थिति चरम पर है।

)ण ग्रस्तता की स्थिति :

बिहार में ग्रामीण मजदूरों की)ण ग्रस्तता की स्थिति कापफी दर्दनाक है। यद्यपि 1960 के बाद संस्थागत ऐजेन्सियों के द्वारा पर्याप्त मात्राा में कृषि साख की व्यवस्था की गई, पिफर भी अभी बहुत से कृषि परिवार देशी महाजनों के चुंगल में पफॅसे हुए हैं, और वे)ण के दलदल से जकड़ गये हैं। राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण द्वारा तैयार किये गये अनुमानों के अनुसार 52.32 प्रतिशत श्रमिक परिवार)ण ग्रस्त है। कई राज्यों में तो यह अनुमान इस स्तर से भी अध्कि है, जैसे आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में यह अनुपात 80.76 सबसे अध्कि अनुमानित किया गया है, जबकि दूसरी और असम में 11.78 प्रतिशत सबसे कम औसतन प्रति परिवार)ण की राशि 680 रूपये अनुमानित किये गये। राजस्थान में)ण की राशि सबसे अध्कि 1808 रूपये जबकि पश्चिम बंगाल में 224 रूपये सबसे कम अनुमानित की गई।

संदर्भ

- डॉ0 मोहन प्र0 श्रीवास्तव : विकास का अर्थशास्त्रा एवं नियोजन
- डॉ0 म. म. भालेराव : कृषि अर्थशास्त्रा
- मुरे, डी0 ब्राइड्स : इण्डस्ट्रीयल डेवल्पमेंट
- डॉ0 अरविन्द एवं यतीन्द्र शांडिल्य : बिहार एक खोज
- डॉ0 मामोरिया एवं जैन : भारतीय अर्थशास्त्रा